



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल

फोन 0755-2551486-87 फैक्स 2550394

क्र. 1722 / MGNREGS-MP / NR-1 / 15

भोपाल, दिनांक 17/02/2016

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला / जिला पंचायत - (समस्त) मध्यप्रदेश।

विषय:- एड्स नियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के मध्य संपादित एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन बाबत।

संदर्भ:- परिषद का पत्र क्र.6764 भोपाल, दिनांक 30/06/2015

—00—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। पत्र में 10 जून 2015 को संपादित एम.ओ.यू. की धारा-2(2.6) से आपको अवगत कराया गया है। एम.ओ.यू. अनुसार एचआईवी ग्रसित ग्रामीण परिवार के सदस्यों को बिना किसी अपमान व भेदभाव के मनरेगा योजना के उद्देश्य, (एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराकर अजीविका को सुरक्षित करना है।) का लाभ एचआईवी ग्रसित ग्रामीण परिवार को प्राप्त हो सके एवं लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी फैले इस बाबत प्रचार प्रसार किए जाने का यह एक अच्छा अवसर है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एम.ओ.यू. अनुसार संबंधित विभाग के साथ समन्वय कर प्रचार प्रसार में सहभागिता करें। रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत पूर्व से क्रियान्वित आयोजनों में इस बिन्दु को प्रमुखता दें - जैसे रोजगार संवाद दिवस आदि। प्रचार में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखें।

(रघुराज राजेन्द्रन)

आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

भोपाल

पृ. क्र. 1723 / MGNREGS-MP / NR-1 / 15

भोपाल, दिनांक 17/02/2016

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. संभागायुक्त संभाग - (समस्त), की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान, जबलपुर की ओर सूचनार्थ
4. परियोजना संचालक म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन, 1 अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. संयुक्त आयुक्त (मॉनिट) विकास शाखा 8 विकास आयुक्त कार्यालय विंध्याचल भवन की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

भोपाल